

बाल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता का विवरण

सेंट जॉन एंबुलेंस ऑस्ट्रेलिया इंक. (सेंट जॉन) उन सभी बच्चों और युवा लोगों (बच्चों) की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जो सेंट जॉन की गतिविधियों, कार्यक्रमों, आयोजनों या सेवाओं (कार्यक्रमों) में भाग लेते हैं। जब बच्चे हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वे सुरक्षित, समर्थित, पोषित और सशक्त रहें और हम बच्चों की सुरक्षा के प्रति निवारक, सक्रियात्मक और प्रतिभागपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँगे।

बाल दुर्व्यवहार के प्रति सेंट जॉन की शून्य सहिष्णुता है। हम दुर्व्यवहार के सभी आरोपों और चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सेंट जॉन में भागीदारी के दौरान बच्चों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार, क्षति या शोषण का अनुभव न हो।

सेंट जॉन बच्चों के लिए ऐसा सुरक्षित परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें बच्चे सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, उनका अनुभव सकारात्मक रहता है, और उनकी आवाज सुनी जाती है। हम हमेशा बच्चों की बात सुनेंगे और वे जो बताएँगे उसे मूल्य देंगे, जब उनकी सुरक्षा या सकुशलता को खतरा होगा तो उन्हें समर्थन देंगे, उन्हें अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाएँगे और उनके द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं को संबोधित करेंगे।

सेंट जॉन माता-पिता, अभिभावकों या देखभालकर्ताओं के इनपुट को महत्व देता है। हम सेंट जॉन के साथ संलग्न होने वाले बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों या देखभालकर्ताओं की बात सुनेंगे व उनके साथ नियमित रूप से संवाद करेंगे। हम बच्चों के स्वस्थ व सुरक्षित विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवारों व समुदायों को समर्थन देने का प्रयास करेंगे। हम माता-पिता, अभिभावकों या देखभालकर्ताओं के साथ उनके बच्चे और उनके बच्चे की सुरक्षा या सकुशलता के बारे में ईमानदारी, पारदर्शिता और खुले तरीके से संवाद करेंगे, सिवाय ऐसी स्थितियों में जहाँ कानून इसकी अनुमति नहीं देता है।

सेंट जॉन आदिवासी बच्चों एवं सांस्कृतिक और/या भाषाई रूप से विविधतापूर्ण पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों, और साथ ही विकलांगता-ग्रस्त बच्चों की सांस्कृतिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा। हम बाल-सुरक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता और बाल-पालन प्रथाओं में मतभेदों का सम्मान करते हैं।

हम अपने संगठन में काम करने के लिए केवल सर्वोपयुक्त लोगों को ही शामिल करने का प्रयास करेंगे। हम सभी कानूनी जांचें पूरी करेंगे और कर्मचारियों व स्वयंसेवकों के लिए ऊँची गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करेंगे। सेंट जॉन के सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बच्चों के कल्याण और सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण व विशिष्ट भूमिकाओं को समझना सुनिश्चित करें। हम यह मानते हैं कि जब हमारे सदस्य ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं जिनमें बच्चे भी भाग लेते हैं, तो सभी सदस्यों को यह भूमिका निभानी होती है कि वे जो कुछ भी करें और जो भी निर्णय लें, उसमें बच्चों की सुरक्षा और सकुशलता को सर्वोपरि रखना सुनिश्चित किया जाए।

सेंट जॉन खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति प्रतिघात, उत्पीड़न या प्रतिशोध के भय के बिना सुरक्षित रूप से बच्चों को होने वाले नुकसान के खतरों का खुलासा कर सकता है। हमारे पास दुर्व्यवहार का खुलासा करने वाले लोगों के संरक्षण के लिए नीतियाँ व प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

सेंट जॉन बाल-सुरक्षा के बारे में सदस्यों को शिक्षित करेगा। हम अपने प्रशिक्षण में बच्चों के प्रति उपयुक्त और स्वीकार्य आचरण एवं व्यवहार पर शिक्षण को शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।

सेंट जॉन हमारे युवा कार्यक्रम में संलग्न बच्चों के प्रति लक्षित अनेकानेक संसाधन उपलब्ध कराएगा और बच्चों द्वारा चिंतित या असुरक्षित महसूस करने की स्थिति में उन्हें इसके बारे में बताने में सशक्त बनाएगा। हम इन संसाधनों को आयु के अनुसार उपयुक्त बनाना और इनमें ऐसे व्यक्तियों और स्थानों को शामिल करना सुनिश्चित करेंगे, जहाँ बच्चे चिंतित या असुरक्षित महसूस करने की स्थिति में समर्थन मांग सकें।

किसी बच्चे के बारे में जानकारी मांगने या देने से पहले सेंट जॉन उस बच्चे के माता-पिता, अभिभावकों या देखभालकर्ताओं से उनकी सहमति मांगेगा। इसमें केवल इस स्थिति में अपवाद होगा, जब बच्चे की सुरक्षा या सकुशलता के बारे में कोई चिंता मौजूद होने पर पुलिस, विनियामक अधिकारियों या सांविधिक बाल-सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उस बच्चे के बारे में जानकारी प्रदान किए जाने का निवेदन किया जाता है।

सेंट जॉन बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम करने में पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर की प्रासंगिक एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा। हमारे पास अपने सदस्यों को बाल-सुरक्षा से संबंधित त्वरित निर्णय लेने, आरोपों या दुर्व्यवहार के संदेह के बारे में तुरंत रिपोर्ट करने, और समुचित तथा कानूनी रूप से जानकारी साझा करने के समर्थन में नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रशिक्षण मौजूद हैं। यदि हमें किसी बच्चे की सुरक्षा या सकुशलता के बारे में चिंता होती है, तो हमारे लिए अधिकारियों से संपर्क करने के कानूनी और नैतिक दायित्व भी हैं।

यदि आपको लगता है कि किसी बच्चे को तत्काल नुकसान का खतरा है, तो तीन शून्य (000) पर फोन करें।